IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P.(S) No. 303 of 2026

Bijay Kumar, aged about 43 years, Son of Late Ram Prasad Thakur, Resident of Flat No. 3, Sahyogi Apartment, Kilburn Colony, Hinoo, P.O. and P.S. Doranda, District Ranchi (Jharkhand) ..... Petitioner

Versus

1. The State of Jharkhand through The Secretary, Water Resources Department, Government of Jharkhand, office at Nepal House, P.O. and P.S. Doranda, District Ranchi.
2. The Chief Engineer, Water Resources Department, Government of Jharkhand, office at Nepal House, P.O. and P.S. Doranda, District Ranchi.
3. The Superintending Engineer, Waterways Circle, Water Resources Department, Government of Jharkhand, office at Nepal House, P.O. and P.S. Doranda, District Ranchi. .....Respondents

---

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE DEEPAK ROSHAN

For the Petitioner : Mr. Abhijeet Kr. Singh, Adv.
: Mr. Ranjit Kumar, Adv.
: Mr. Arya Suman, Adv.
For the Res.-State : Mr. Sushant Kumar, AC to SC-II

03/Dated:21.04.2026

The instant writ application has been preferred by the petitioner for the following relief:-

(i) For quashing and set aside the decision of screening committee held on 19.06.2025 (Annexure-5-series) for grant of first MACP, so far as it relates to the petitioner, by which a decision has been taken to keep his consideration pending till the pendency of criminal case instituted against the petitioner.

(ii) Upon quashing the decision of the screening committee held on 19.06.2025 (Annexure-5-series) be further pleased to direct the respondent to grant the benefits of first MACP to the petitioner w.e.f. 15.02.2018.

(iii) To make payment of all the dues mentioned above with statutory as well as penal interest.

2. The grievance of the petitioner is that the benefit of first MACP has been rejected by the Screening

Committee on the ground that the petitioner was once arrested in one case of anti-corruption bureau and at present he is on bail and taking into consideration of that he has been denied the benefit of first MACP.

For brevity, relevant portion of the minutes of meeting is extracted herein-below:-

> **"**.....*IV. विचारण सूची क्रमांक-05 श्री विजय कुमार (नियुक्ति-15.02.2008) के प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-3065 दिनांक-25.06.2024 का संज्ञान लिया गया। उक्त विभागीय पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि श्री विजय कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, जलपथ अंचल, राँची को भ्रष्टाचार निरोधन ब्यूरो द्वारा दिनांक-21.06.2024 को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में कर्मी जमानत पर कारावास से बाहर है एवं सेवा में कार्यरत है परंतु कांड से संबंधित सुनवाई न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। मामले में अंतिम न्यायनिर्णय पारित होते तक एम०ए०सी०पी० देयता की कार्रवाई को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।*

3. Learned counsel for the petitioner submits that in such a situation when any employee has been arrested and is on bail and/or departmental or criminal case is pending; there is specific circular of the Government which has been issued vide Resolution no.6227 dated 20.11.2008 wherein at clause 4, 5 and 6 are relevant. This circular is applicable in case of grant of MACP also. For brevity clause IV & V is extracted herein-below:-

> "4. *कार्यवाही के निष्पादन में शीघ्रता- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सरकारी सेवक के विरूद्ध लगाये गये किसी अनुशासनिक मामलें/ आपराधिक कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं किया और इस संबंध में कार्रवाई को शीघ्रताशीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के सभी प्रयास किये जायें, ताकि सरकारी सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखने की परिस्थिति बने। अतः यह निर्णय लिया गया है कि*

संबंधित नियोक्ता प्राधिकारों को चाहिए कि वे ऐसे सरकारी सेवकों के प्रकरणों की, जिनकी उपयुक्तता पर विचार कर अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, उनके मामलों पर विभागीय प्रोन्नति समिति के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधी समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी समीक्षा बाद में भी प्रत्येक छः महीने के अंतर पर की जानी चाहिए। इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक कार्यवाही में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा इहें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए ।

5. कार्यवाही निष्पादन में विलम्ब की स्थिति में तदर्थ प्रोन्नति की संभावना- उपर्युक्त कंडिका-4 में उल्लिखित छमाही समीक्छा किये जाने के बावजूद, कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें पहली विभागीय प्रोत्रति समिति, जिसने सरकारी सेवक के संबंध में अपने निष्कयों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था, की बैठक की तिथि से दो साल बाद भी सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक मामले आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ऐसी परिस्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे सरकारी सेवक के मामले को समीक्षा करें। <u>अगर वह सरकारी सेवक निलम्बनाधीन न हो, तो निम्नांकित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ प्रांत्रति दिये जाने को संभावना पर विचार किया जाये-</u>

(क) क्या सरकारी सेवक को प्रोत्रति लोकहित के विरूद्ध होगी।

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उसे प्रोत्रति से वंचित रखे रहना जरूरी है?

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले के पूरा होने की संभावना है ?

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित सेवक का कोई हाथ है ?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित सेवक तदर्थ प्रोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरूपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय मामले/आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नियुक्ति प्राधिकार यदि उचित समझे तो कारणों को लिखित रूप से दशति हुए लोकायुक्त के कार्यालय, निगरानी विभाग अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिनके प्रतिवेदन को आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई आपराधिक अभियोजन प्रारंभ हुआ था, से परामर्श लिया जा सकता है। किन्तु नियुक्ति प्राधिकार इस संकल्प में उल्लिखित निदेशों के विपरीत परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

6. <u>तदर्थ प्रोन्नति पर विचार- यदि नियुक्ति प्राधिकार इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सरकारी सेवक के तदर्थ प्रोन्नति दिया जाना लोकहित के विरूद्ध नहीं होगा तो उस परिस्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिये जाने के लिए कि क्या संबंधित अधिकारी तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के लिए उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सामान्यतः आयोजन की जाने वाली अगली विभागीय प्रोत्रति समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिए।</u> इस प्रकार के सभी मामले में जहाँ सरकारी सेवक के नाम पर तदर्थ प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना हो, वहाँ विभागीय प्रोन्नति समिति को चाहिए कि वह, उस सरकारी सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले आपराधिक कार्यवाही पर ध्यान नहीं देते हुए उस व्यक्ति के सेवा को समग्र रिकॉर्ड के आधार पर इस मामले का मूल्यांकन करें।

9. <u>दोषमुक्त नहीं होने पर प्रत्यावर्तन- यदि सरकारी सेवक को आपराधिक कार्यवाही से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है, और सरकार इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में अपील में ले जाना चाहती है अथवा विभागीय तौर पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करना चाहती है अथवा यदि ऐसे सरकारी सेवक को विभागीय कार्यवाही में दोषरहित करार नहीं दिया जाता है तो प्रोत्रति को रद्द कर उसे निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए।</u>

4. Having regard to the aforesaid facts and circumstances and looking to the impugned order coupled with the above referred resolution no.6227 dated 20.11.2008; interest of justice would be sufficed to remit the case to the concerned respondent to reconsider the case of the petitioner in the light of the above referred clauses of the resolution no.6227 dated 20.11.2008.

5. Accordingly, the respondents are directed to re-consider the claim for grant of benefit of first MACP as per their own circular and extend the same to the petitioner, if he is found eligible. However, it is made

clear that in future, the petitioner is convicted in the case, then the respondent would be at liberty to take appropriate action with regard to refund etc. which is to be guided as per Clause 9 of the said circular indicated herein below.

6. It is made clear that while re-considering, the concerned respondent shall not be prejudice by its earlier order and the entire exercise shall be done within a period of four months from the date of receipt/production of copy of this order.

7. As a result, the instant writ application stands partly allowed in aforesaid terms. Pending I.A.s if any, also closed.

(**Deepak Roshan, J.)**

April 21, 2026
Uploaded on
04/06/2026
Fahim/-